क्रम संख्या–71 (क)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 24 जुलाई, 2025 ई0

श्रावण 02, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग–1

संख्याः– 306/XXXVI-A-1/2025–18/2000 T.C.-1

देहरादून, 24 जुलाई, 2025

अधिसूचना

नियुक्ति

प0 आ0–63

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–17 वर्ष 1976) की धारा–3क (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुति से श्रीमती कहकशा खान, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देहरादून को उनके वर्तमान दायित्व के अतिरिक्त उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में निबन्धक के पद का अतिरिक्त कार्यभार तत्काल प्रभाव से सौंपे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

प्रशान्त जोशी,

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46/न्याय/440–2025–100+20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।